

दिनांक अज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

01.07.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के वर्तमान कब्जे सहित बोरिंग पम्प सेट के उपयोग उपभोग में बाधा दखल करते हुए अप्रार्थीगण विवादित भूमि में वर्तमान कब्जे, मौके एवं बय, हस्तांतरण सहित राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने प्रार्थी को मौके के कब्जे से वंचित कर सिचाई के अधिकार से बेदखल करना चाहते हैं तथा मौके पर अपना निर्माण करना चाहते हैं। प्रार्थी के विवादित भूमि अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रस्तुत प्रा० पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम हीरापुरा में वादग्रस्त खसरा नं० 78 रकबा 3.99 हैक्टेयर अनुसार वादग्रस्त भूमि में रास्ता, कच्चा पक्का निर्माण, कब्जा एवं परिवर्तन नही करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, दखल, व्यवधान इत्यादि नही करे। उक्त कार्य अन्य से भी ना करावे यदि उक्त आदेश से किसी को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो, स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार व संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.08.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुरा

8/118

जयपुरा वृद्धाश्रम में भूलादा में विद्या का प्राप्ति पत्र पेश होने पर प्रार्थी का पत्र पेश हुई। भूलादा के विद्या करने की शर्तों पर भूलादा के प्राप्ति किया गया है। इसीलिए उक्त प्राप्ति पत्र 212 रजिस्टर के कोड के अन्तर्गत ही होने से प्राप्ति किया जाये। प्रार्थी के पत्र श्रुति के अनुसार ही है। वाद एवं विवाद इत्यादि

8/118

उपखण्ड अधिकारी
जयपुरा

जयपुरा

